UPGK010016482026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी०) एक्ट , गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–791/2026

जयदीप मित्रा पुत्र बनविहारी मित्रा, निवासी–सी 78 सहयोग बिहार धरमपुर, थाना शाहपुर, जिला–गोरखपुर, उ०प्र०।

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **––––––––––विपक्षी**

मु०अ०सं०–901/1999
धारा–193,196,218,409,420,467,468,471,120B भा०दं०सं०
थाना–कैण्ट, जिला–गोरखपुर।

दिनांक–17–03–2026

आवेदक/अभियुक्त जयदीप मित्रा की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र सौरभ मित्रा द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्थित मुहल्ला–गोलघर, थाना–कैण्ट, जिला–गोरखपुर का वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक है। प्रार्थी के बैंक में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव कैशियर कम क्लक के पद पर कार्यरत है। उनके जिम्मे बैंक का सेविंग बैंक एकाउण्ट एवं टेलर का कार्य वर्तमान समय में है तथा बैंक द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्य भी करते है। श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी एवं अपनी रिश्तेदार के नाम से विभिन्न खातों को खोला। जिसका विवरण निम्न है। 1–2577 ये खाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव व एवं उनके पिता श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव के नाम से खोला गया। 2–2599 ये खाता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं उनकी माता श्रीमती चन्द्रकाती के नाम से खोला गया। 3–3661 ये खाता श्रीमती मंजू श्रीवास्तव (मौसी) एवं श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव (मामा) निवासी मुहल्ला 366, मालवीया रोड, थाना–गोरखनाथ रोड, गोरखपुर के नाम से खोला गया। 4–3805 ये खाता श्रीमती साधना (बहन) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती चन्द्रकांती, मो0 192डी, शिवापूरम बशारतपुर, थाना–शाहपुर, गोरखनाथ के नाम से खोला गया। श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने विभिन्न शाखा में बैंक के साथ धोखाधड़ी से आज तक अनुमानित इक्तीस लाख रूपया केवल निकाल लिया। यह राशि आडिट रिपोर्ट के अनुसार है, जो आज तक का है। श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव (पिता) ने लिखित रूप से इस गबन को किया जाना स्वीकार किया है एवं इसी उद्देश्य से उन्होनें आज तक

मु० 7,91,000/– रूपया जमा भी किया है। इन्होनें बाकी पैसा जमा करने का वादा भी किया है। उनके द्वारा दिया गया शपथ पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, कोई अपराध कारित नही किया है। साजिश के तहत इस मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी स्वच्छ एवं उज्जवल चरित्र का 68 वर्षीय व्यक्ति है तथा कानून का पालन करने वाला संभ्रान्त व्यक्ति है। प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध में पी०ओ० के पद पर कार्यरत था तथा अवकाश प्राप्त कर चुका है तथा वृद्धा अवस्था की बीमारियों से ग्रसित है। प्रार्थी उक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त नही है तथा कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार भी नही है, किन्तु साजिशन अभियुक्त बनाया गया है। एफ०आई०आर० शाखा प्रबन्धक द्वारा दर्ज कराया गया था जिसमें अंकित हैं कि कैशियर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने (1) खाता सं0–2577 खाता धारक राकेश कुमार श्रीवास्तव व उनके पिता शारदानन्द श्रीवास्तव (2) खाता सं0–2599 खाताधारक राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं उसकी माता चन्द्रकांती (3) खाता सं0–3661 मंजू श्रीवास्तव (राकेश की मौसी) एवं सुनील कुमार (राकेश के मामा) (4) खाता सं0–3805 खाताधारक साधना (बहन) एवं चन्द्रकांती (माता) के नाम से तथा अपने रिश्तेदारो के नाम से खाता खोलकर धोखाधड़ी करके राकेश कुमार श्रीवास्तव ने अन्तरित करके निकाल रु0–31,00,000/– गबन कर लिया हैं। मुख्य अभियुक्त राकेश कुमार श्रीवास्तव व उनके पिता शारदानन्द श्रीवास्तव ने लिखित रूप में गबन स्वीकार करके और रु0–7,91,000/– बैंक में वापस जामा कर दिया, जिससे स्वतः स्पष्ट हैं समस्त धोखाधड़ी व गबन राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया हैं। वादी मुकदमा तेजा सिंह महल ने कैशियर के पद पर राकेश कुमार श्रीवास्तव को लम्बे समय तक एक ही पटल पर नियुक्त रखा था तथो राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा ही भुगतान, अन्तरण, डे–बुक, टेलर भुगतान एवं बैलेसिंग समस्त कार्य शाखा प्रबन्धक द्वारा अधिकृत होने के कारण किया जाता रहा था। इस प्रकार प्रार्थी ने कोई मिथ्या साक्ष्य नही गढ़ा, कोई धनराशि किसी को नही सौंपी गयी, कोई छल नही कारित किया गया है तथा छल कारित करने के उद्देश्य से मूल्यवान प्रतिभूति नही तैयार किया जिसका असली दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाय व प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अपराध नही कारित किया गया है, इसलिए किसी भी धारा का कोई अपराध नही बनता है। एफ०आई०आर० वर्ष 1999 में दर्ज हुआ जिसकी विवेचना आज तक प्रचलित हैं जो स्वतः साबित करता हैं कि केवल साजिश करके फर्जी तरीके से फंसाया गया हैं। सह अभियुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव गिरफ्तार किया गया था किन्तु प्रपत्रों में कथित किसी भी धारा का कोई अपराध होना नही पाया गया तथा कोई प्रपत्र साक्ष्य का नहीं पाया गया इसलिए अवर न्यायालय श्रीमान् सी० जे०एम० द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रार्थना पत्र साक्ष्य न होने के कारण दिनांक–29.07.2025 को निरस्त कर दिया गया। इससे यह स्वतः साबित हैं कथित धाराओं का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हैं। उक्त प्रकरण में प्रपत्रों के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु विभागीय स्तर पर प्रार्थी के उपर आरोप प्रथम दृष्टया नही पाया गया व बैंकिग नियमावली के विरूद्ध कोई कृत्य नही पाया गया इसलिए दिनांक–19.07.2016 को बैंक के उच्चाधिकारीगण द्वारा अभियोजन स्वीकृति नही प्रदान की गई हैं। जिससे स्वतः स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का कृत्य बैंकिग एवं पदीय दायित्व के विरुद्ध नहीं पाया गया किन्तु पुलिस द्वारा नाजायज तरीके से बिना साक्ष्य के आधारहीन आरोप लगाकर फंसाया गया हैं। प्रार्थी उस वक्त पी०ओ० के पद पर कार्यरत था इसलिए शाखा एवं शाखा के कर्मचारियों के कार्यों तथा सुपरविजन का भी कोई दायित्व नहीं था इसलिए प्रार्थी को कथित अपराध के बारे में कोई जानकारी नही हैं। मुख्य अभियुक्त राकेश कुमार श्रीवास्तव का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक–27.04.2000 को स्वीकार हो चुका हैं। सह–अभियुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव का अग्रिम जमानत स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार मुख्य अभियुक्त एवं सह–अभियुक्त जिनके उपर एफ०आई०आर० में रूपया अन्तरित करके गबन करने का आरोप हैं उनका जमानत स्वीकृत हो चुका

है। इसलिए प्रार्थी जमानत का हकदार हैं। प्रार्थी एक सेवानिवृत्त, वृद्ध व्यक्ति हैं तथा समाज में प्रतिष्ठित हैं, गिरफ्तार अथवा निरूद्ध होने से प्रार्थी की सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षति होगा। उपरोक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नही है, दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। कथित प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्त श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के साथ मिलकर विभिन्न शाखा में बैंक के साथ धोखाधड़ी से आज तक अनुमानित 31,00,000/– (इक्तीस लाख) रूपया सरकारी धन के गबन का आरोप है। अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09–10–1999 को अपराध संख्या 901/1999, थाना कैण्ट, गोरखपुर में दर्ज करायी गयी। जिसके क्रम में अभियुक्त राकेश कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध वर्ष 2000 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, तत्पश्चात मामले में पुनः विवेचना प्रारंभ की गयी जो लगातार लगभग 26 वर्षों से प्रचलित है। अभियुक्त वरिष्ठ नागरिक है, जो 8 वर्ष से अधिक समय पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका है। अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध के बारे में अभी तक विवेचक द्वारा कोई निष्कर्ष नही दिया जा सका है। सह अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा की जा रही विवेचना की स्थिति को देखते हुए तथा अभियुक्त के कारागार में निरुद्ध होने की स्थिति को देखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक /अभियुक्त **जयदीप मित्रा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–791/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.17 17:57:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court